न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी, मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण सख्याः–38/2024(प्रार्थना पत्र)

दायर दिनांकः– 09/04/2024

निर्णय दिनांकः– 25/11/2025

अनवान

1. शान्तिलाल पिता माना जाति रेगर निवासी ग्राम कुंआथल तहसील देवगढ़ व अन्य

–––प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ जिला राजसमन्द

–––अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 47 नियम 01 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0

::निर्णय::

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा 47 नियम 01 जा0दी0 व सपठित धारा 151 जा0दी0 का पेश किया । प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वर्तान्त इस प्रकार है कि ग्राम कुंवाथल पटवार मण्डल कुंवाथल के सेटलमेन्ट पूर्व पुराने आराजी नं. 2406/221 रकबा 17 बीघा 10 विस्वा भूमि में से 05 बीघा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवाथल के भवन निर्माण हेतु आवंटन हुई जो नामान्तरण सं. 2077 दिनांक 20.05.2014 से आराजी नं. 2206/221 रकबा 05 बीघा भूमि विद्यालय के नाम दर्ज हुई। उक्त आंवटित भूमि पुराने राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं थी। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवाथल द्वारा आप न्यायालय में धारा 136 का पेश किया जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुंवाथल के नाम पर दर्ज आराजी नं. 704/1 रकबा 1.800 हैक्टेयर को दुरूस्त करने हेतु पेश किया जिसमें आप श्रीमान द्वारा दिनांक 19.09.2023 को एक संशोधित निर्णय पारित करते हुए आराजी सं. 711, 712 एंव 715 जो प्रभावित खसरे हैं जिस पर प्रार्थीगण मौके पर काबिज हैं और मकान बने हुए हैं और वर्षों से निवास कर रहे हैं उन प्रभावित पक्षकरान् को सुने बिना ही संशोधित निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकारों के हित विधिक अधिकारों से संबधित हैं यदि उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकार को नहीं सुना गया तो पक्षकारों को भारी नुकसान का सामना करना पडेगा। प्रभावित पक्षकारों को प्रकरण में सुना जावें जिससे सही तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत हो सके न्याय हित में माननीय न्यायालय के द्वारा जारी आदेश का पुर्नः विलोकन किया जाना आवश्यक हैं जिससे प्रभावित पक्षकार अपने अधिकारों की रक्षा कर पाये एंव न्यायालय के समक्ष पक्षकार अपने तथ्य प्रकट कर पाये। अन्य तथ्य वक्त बहस अर्ज किये जायेगें। अतः श्रीमान से निवेदन है कि माननीय

उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जि. राजसमन्द (राज.)

न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2023 संशोधित आदेश 19.09.2023 का न्याय हित में पुर्नःविलोकन किया जाकर पुनः निर्णय पारित किया जावें।

प्रकरण में प्रधानाचार्य रा0उ0मा0वि0 ने लिखित बहस पेश किया कि यह कि श्रीमान न्यायालय द्वारा प्र.स. 38/2024 में जो स्थगन आदेश 09.04. 2024 को पारित किया गया है। वह एक तरफ आदेश है। श्रीमान न्यायालय ने स्थगन का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह आधार हीन है विद्यालय के आराजी नम्बर 704/1 क्षेत्रफल 1. 0800 हैक्टेयर खातेदारी आवासीय एवं प्रार्थीगण आराजी नम्बर 711, 712, 715 भी बिलानाम आराजी है जो राजकिय भूमि है एवं अगर प्रार्थीगण अतिक्रमी है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाने एवं नियमानुसार सजा का प्रावधान भी है। वर्तमान नक्शे में आरजी नम्बर 704/1 व आरजी नम्बर 711, 712, 715 बिलानाम भूमि है जो विद्यालय की भूमि से काफी दुरी पर है। राज्य सरकार के प्रतिनिधियो का यह कर्तव्य है कि अतिकर्मीयों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर बेदखल करे न कि अतिक्रमण बढावा देने का किसी प्रकार का काई कानून नही है। प्रार्थीगण उक्त वाद ग्रस्त आराजी में खातेदार नही होने से आज स्थगन आदेश निरस्त फरमाने की कृपा करावे।

उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। हमने योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

1. प्रकरण में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 के विश्लेषण से पूर्व सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 से संबंधित कानूनी प्रावधानों का उक्त प्रार्थना पत्र के सन्दर्भ में भी विश्लेषण आवश्यक है। सर्वप्रथम सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–47 नियम–01 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

   1. Application for review of judgment.—
   (1) Any person considering himself aggrieved—
   (a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which no appeal has been preferred,
   (b) by a decree or order from which no appeal is allowed, or
   (c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes, and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order.

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी देवगढ
जि. राजसमन्द (राज.)2

(2) A party who is not appealing from a decree or order may apply for a review of judgment notwithstanding the pendency of an appeal by some other party except where the ground of such appeal is common to the applicant and the appellant, or when, being respondent, he can present to the Appellate Court the case on which he applied for the review. 1 [Explanation.—The fact that the decision on a question of law on which the judgment of the Court is based has been reversed or modified by the subsequent decision of a superior Court in any other case, shall not be a ground for the review of such judgment.]

न्यायालय का विचारः—

1. आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के अन्तर्गत पुनर्विलोकन / नजरसानी का अधिकार किसको प्राप्त है?
   मूल वाद में पक्षकार या ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुआ हों उसे ही समीक्षा का अधिकार है।
   सर्वोच्च न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों ने स्थित सिद्धान्त स्थापित किया है कि जो व्यक्ति मूल प्रकरण में पक्षकार नहीं, वह पुनर्विलोकन का आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।
2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 "श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी" में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि :—
   " Review- ' Error apparent of face of record'- Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions."
3. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005(1) RRT 545(SC) में यह प्रतिपादित किया गया है कि :—
   " A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."

इस प्रकार नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है अपितु अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को ही ठीक किया जा सकता है।

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आदेश को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि ही नजरसानी / न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार हो सकती है अन्यथा ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला—राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जि. राजसमन्द (राज.)

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण मूल प्रकरण संख्या 141/2023 के किसी भी पक्ष में सम्मिलित नहीं थे। न प्रार्थीगण का कोई हित उस आदेश से प्रभावित हुआ। प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण संख्या 141/2023 निर्णय दिनांक 19/09/2023 में विधिक त्रुटि के संबंध में कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किए है। निर्णय दिनांक 19/09/2023 में विधिक, तथ्यात्मक त्रुटि स्पष्ट नहीं होती है। खसरा संख्या 704/1, 711, 712, 715 आदि की भूमि विद्यालय भवन निर्माण हेतु आरक्षित है। सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि के मामलों में केवल अधिकृत पक्षकार ही याचना प्रस्तुत कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 का खारिज किये जाने के आदेश दिए जाते है। प्रकरण में जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द